संचिका सं०–29/मुक0–02बी0–01/2026–

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश

भू–अर्जन एवं पुनर्वास निदेशालय तथा सभी विशेष भू–अर्जन कार्यालयों को दिनांक 01.10.2019 के प्रभाव से बंद किये जाने के पश्चात् इससे पूर्व न्यायिक निर्णयों के आधार पर लंबित जयघोष से संबंधित अभिलेख संबंधित विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा संबंधित जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को हस्तगत करा दिये जाने का निदेश तथा न्यायिक निर्णयों के आधार पर लंबित जयघोष की राशि का भुगतान से संबंधित मामलों मे समुचित कार्रवाई अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाता है।

2. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साथ हुई दिनांक–06.01.2026 की बैठक में यह बात प्रकाश में आई कि **जयघोष राशि के भुगतान हेतु कतिपय मामलों में न्यायिक स्तर से आदेश निर्गत/पारित किया गया है तथा ऐसे मामलों में संबंधित जिला भू–अर्जन कार्यालयों में** कतिपय अभिलेखों के अभाव होने के कारण समुचित कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इन मामलों में प्रत्येक स्तर पर समन्वय/अनुश्रवण की कार्रवाई अपेक्षित है।

3. अतः फुलवरिया जलाशय परियोजना, नवादा से संबंधित वादों में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, नवादा समुचित कार्रवाई करने हेतु कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, रजौली, नवादा एवं कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, अनिसाबाद, पटना से आवश्यकतानुसार समन्वय स्थापित कर युक्तियुक्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, रजौली, नवादा एवं कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, अनिसाबाद, पटना को निदेशित किया जाता है कि वे जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, नवादा को इस निमित्त अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे। फुलवरिया जलाशय परियोजना, नवादा से संबंधित वादों में जल संसाधन विभाग की ओर से आवश्यक कार्रवाई निमित्त कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, रजौली, नवादा को नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है।

4. विभाग स्तर पर एतद् संबंधी समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, अंचल–2, पटना एवं अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, अंचल–3, पटना को नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है। अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, अंचल–2, पटना एवं अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, अंचल–3, पटना अपने परिक्षेत्राधीन एतद् संबंधी मामलों से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन प्रत्येक सप्ताह सभी मुख्य अभियंता से प्राप्त कर अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, अंचल–1, पटना को उपलब्ध कराएंगे। इस प्रकार प्राप्त प्रतिवेदन को साप्ताहिक SOM की बैठक में अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, अंचल–1, पटना द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा।

प्रस्ताव में प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

13/1/26

(के0 डी0 प्रोज्जवल)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 29/मुक०–02 बी0–01/2026–242 पटना, दिनांकः– 14/01/26

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/निदेशक, भू–अर्जन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, बाढ़/अभियंता प्रमुख, सिंचाई /जिला पदाधिकारी, नवादा/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, अंचल–1/अंचल–2/अंचल–3, पटना/ जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, नवादा/विधि पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, रजौली, नवादा/कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, अनिसाबाद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/1/26

(के० डी० प्रोज्जवल)

अपर सचिव

ज्ञापांकः– 29 / मुक०–02 बी0–01 / 2026– 242 पटना, दिनांकः– 14/01/26

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, आई० टी० सेंटर / आई० टी० मैनेजर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/1/26

(के० डी० प्रौज्ज्वल)
अपर सचिव